10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(55)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2012

R- 4160 - II/12

7/12/12

7-12-12

गिरजा गोंड दत्तक पुत्र बिरजा गोंड, निवासी– ग्राम किकरी पोंड़ी, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.) ——आवेदक

बनाम

1. वेदबती आत्मज दम्मे गोंड
2. अमरवती आत्मज दम्मे गोंड

दोनों निवासी–ग्राम किकरी पोड़ी, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

——अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक. 12/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 16/10/2010 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

7-12-12

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश अवैध, अनुचित, विधि के उपबंधों के प्रतिकूल तथा अधिकारिता रहित होने से अपास्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 3 एवं 4 को समझने में त्रुटि की गई है।
3. यह कि, प्रकरण में मृतक पक्षकार का उत्तराधिकारी होने का प्रश्न विचारणीय नहीं होता अपितु मृतक पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि होने का प्रश्न विचारणीय होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस

2 (20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-4160-दो/2012 जिला अनूपपुर गिरजा विरूद्ध वेदबती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक गिरजा की ओर से अभिभाषक श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 12/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 16-10-2010 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-12-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता	

21.12.18

है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

21.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य